(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 29 **/2023**
दिनांकः 29 **अगस्त, 2023**

विषयः एस एस कोड 10063090 के तहत गैर–बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एततद्वारा दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 के तहत दी गई छूट में किसी भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर–बासमती सफेद चावल के निर्यात को अनुमति देती हैः

i दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 [सा.आ. 3249 (अ)] को दिनांक 20 जुलाई, 2023 को 21:57:01 बजे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसलिए दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. 20/2023 [सा.आ. 3249 (अ)] के पैरा 2 (iii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः

''जहां गैर–बासमती चावल की खेप दिनांक 20 जुलाई, 2023 को 21:57:01 बजे से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और सीमा शुल्क की प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है या जहां गैर–बासमती चावल की खेप दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले निर्यात हेतु सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले इन वस्तुओं की सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ सीमा शुल्क स्टेशन के संबंधित अभिरक्षक की इलैक्ट्रोनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि दिनांक 30.10.2023 तक होगी।

ii. निर्यात शुल्क का दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले भुगतान कर दिया गया हो।

2 संदेह को हटाने के लिए जहां भी दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 [सा. आ. 3249 (अ)] में ''इस अधिसूचना से पहले'' यह शब्द/वाक्यांश आया है इसका अभिप्राय ''दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले'' होगा।

3 **इस अधिसूचना का प्रभाव** :
दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 के तहत दी गई छूट में गैर–बासमती सफेद चावल का निर्यात अनुमत है जब निर्यात शुल्क का दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले भुगतान किया गया हो। दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 का पैरा 2 (iii) को दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 को लागू करने की तिथि और समय को विनिर्दिष्ट करने हेतु संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी 29.8.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/010/एएम–23/ईसी/ई–33294 से जारी)